

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीखरजू:- 18-10-22

मु० न०:- 188/2022

उनवान:- आशाबाई बनाम जगराम वगै०  
दावा बाबत डिविजन ऑफ हॉल्लिंग व स्थाई निषेधाज्ञा  
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

फर्द अहकाम

दिनांक  
10/22

वादी की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एड० ने दावा बाबत डिविजन ऑफ हॉल्लिंग व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 31.10.2022 को पेश हो।



(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम जिला करौली

5796-5204

18-10-22

31.10.22

वादी वकील उप० प्रतिवादी न० 16 के नोटिस की तारीख होकर प्राप्त हुए हैं। पैरोकार सरकार उप०। शेष प्रतिवादीगण के नोटिस तारीख होकर प्राप्त नहीं हुए हैं। वास्ते इंजारे नोटिस तारीख दिनांक 5-12-22 को पेश हो।



5.12.22

पत्रावली पेश हुई। वकुलाचन उप०। शेष प्रतिवादीगण के नोटिस तारीख होकर प्राप्त नहीं हुए हैं। वास्ते इंजारे नोटिस तारीख दिनांक 10.1.23 को पेश हो।




10.1.23

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वास्ते तलबी दिनांक 10.2.23 को पेश हो।



2/23

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप०। वास्ते तलबी दिनांक 21.3.23 को पेश हो।





फर्द अहकाम

वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित  
पीठासीन अधिकारी..... मुनाव दिनांक में जयपुर पत्तारे हैं  
पत्रावली गतानुसार दिनांक..... 18.9.24 को पेश हो।

18/9/24 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित  
वादी वकील को पुनः तलबी नोटिस पेश करने  
का अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी  
दिनांक 15/11/24 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप.। वादी वकील  
को पुनः तलबी नोटिस पेश करने का एक  
जोड़ अंतिम मौका दिया जाकर पत्रावली  
दिनांक 7/6/24 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वादी उष वाडीवकील  
कोई उपस्थित नहीं का 2 काकाजा  
दियाई गई इसके उपरांत भी कोई  
उपस्थित नहीं हुआ इसके वादी का  
उमर डाका वाडी उष वाडीवकील की  
आइम हाजिरी आइम पेशपी के खामिज  
किया जाता है।

पत्रावली पेशाव शुभाह्निक  
नमस्कार से काम का हासिल उपलब्ध हो।

डी वकील  
गगा)